हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।

बैठक कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के चौरास परिसर के आवासीय एवं अनावासीय क्षेत्र से ठोस कूड़े के निस्तारण हेतु नगर पंचायत कीर्तिनगर के साथ एम०ओ०यू० करने हेतु कार्यालयादेश संख्या HNBGU/E.S./2023/216 दिनांक 25.07.2023 से गठित समिति की बैठक आज दिनांक 09.08.2023 को प्रातः 11.30 बजे अधिशासी अभियन्ता कार्यालय श्रीनगर में सम्पन्न हुई। **बैठक में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित हुये–**

1. प्रो० सी०एम० शर्मा, निदेशक चौरास परिसर	—	अध्यक्ष
2. इं० विजयानन्द बहुगुणा, अधिशासी अभियन्ता	—	सदस्य
3. इं० महेश प्रकाश डोभाल, सहायक अभियन्ता	—	सदस्य
4. श्री अशोक कुमार, सुपरवाईजर स्वच्छता	—	सदस्य

बैठक में विश्वविद्यालय परिसर चौरास के आवासीय एवं अनावासीय क्षेत्र से उत्सर्जित ठोस कूड़े के निस्तारण के परिप्रेक्ष्य कार्ययोजना एवं इस हेतु नगर पंचायत कीर्तिनगर के साथ किये जाने वाले एम०ओ०यू० पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये–

1. चौरास परिसर के आवासीय व अनावासीय क्षेत्रों में नगरपंचायत कीर्तिनगर द्वारा सप्ताह में दो कार्यदिवसों **(मंगलवार व शुक्रवार)** में भेजे जाने वाले कूड़ा वाहन मे कूड़े के निस्तारण हेतु सफाई सुपरवाईजर श्री अशोक कुमार द्वारा दो (02) सफाई कर्मचारी निर्धारित समय मे स्थल पर तैनात किये जायेंगे, जो कि विश्वविद्यालय के आवासीय एवं अनावासीय क्षेत्र का ठोस/अजैविक (प्लास्टिक इत्यादि) सम्बन्धी कूड़ा, सम्बन्धित कूड़ा वाहन में डालेंगे।
2. परिसर निदेशक चौरास द्वारा आवासीय कालोनी एवं अनावासीय परिसर में प्रत्येक विभाग हेतु दो–दो कूड़ेदान अलग–अलग रंग के उपलब्ध करवाये जायेंगे जिसमें जैविक एवं अजैविक कूड़ा पृथक–पृथक रूप से डाला जायेगा। सम्बन्धित कूड़ेदानों पर **''जैविक''** व **''अजैविक''** कूड़ादान सम्बन्धी विवरण व निर्देश चस्पा होगा।
3. आवासीय एवं अनावासीय परिसर का कूड़ा उठान सम्बन्धी वाहन का मार्ग एवं कूड़ा उठाने हेतु ठहराव स्थल जिन्हें कि मास्टर प्लान में इंगित किया गया है के अनुरूप कूड़ा निस्तारण व्यवस्था का संचालन श्री अशोक कुमार, सफाई सुपरवाईजर द्वारा संचालित करवाया जायेगा।
4. नगर पंचायत कीर्तिनगर के साथ संलग्न अनुबन्ध के अनुसार एम०ओ०यू० करने की भी समिति द्वारा सहमति दी गयी एवं इस हेतु नगर पंचायत कीर्तिनगर के देयक **रू0 20000.00 (रूपये बीस हजार) प्रतिमाह** अथवा रू0 2.40 लाख (रूपये दो लाख चालीस हजार वार्षिक) सहित बड़े आकार के कूड़ेदानों की व्यवस्था इत्यादि को सम्मिलित करते हुये कुल **लगभग रू0 3.00 लाख (रूपये तीन लाख) के वार्षिक** रिकरिंग व्यय की बजट व्यवस्था वित्त अनुभाग द्वारा किये जाने की समिति द्वारा संस्तुति की गई।
5. जैविक कूड़े के निस्तारण हेतु परिसर में पृथक–पृथक स्थानों पर अभियन्त्रण सेवा अनुभाग द्वारा कम्पोस्ट पिट्स बनाये जायेंगे जिनमें स्वच्छता कर्मियों द्वारा जैविक कूड़े का नियमित रूप से निस्तारण किया जायेगा।
6. समिति द्वारा विनिश्चत किया गया कि इस व्यवस्था के संचालन के सापेक्ष नगर पंचायत कीर्तिनगर के मासिक व्यय के भुगतान सम्बन्धी देयक निदेशक चौरास परिसर के कार्यालय द्वारा अग्रसारित किया जायेगा तथा इस विषयक पत्रावली भी निदेशक श्रीमान् चौरास के कार्यालय में ही अनुरक्षित रहेगी।
7. परिसर में ठोस कूड़े के निस्तारण सम्बन्धी उक्त व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से अनुश्रवण हेतु निदेशक द्वारा परिसर में तैनात किसी कार्मिक (शिक्षक/कर्मी) को दायित्व सौंपे जाने की समिति द्वारा संस्तुति की गई।

09/08/2023

(अशोक कुमार)	(महेश प्रकाश डोभाल)	(विजयानन्द बहुगुणा)	प्रो० (सी०एम० शर्मा)
सफाई सुपरवाईजर	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	निदेशक, चौरास परिसर

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK48681656834020V
Certificate Issued Date	:	25-Apr-2023 12:57 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1272604/ SRINAGAR/ UK-PG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK127260403464525163751V
Purchased by	:	NAGAR PANCHAYAT KIRTINAGAR
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	REGISTRAR HNB GARHWAL UNIVERSITY
Second Party	:	NAGAR PANCHAYAT KIRTINAGAR
Stamp Duty Paid By	:	NAGAR PANCHAYAT KIRTINAGAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

Subhash Chandra

Please write or type below this line

IN-UK48681656834020V

अनुबन्ध

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक को अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत कीर्तिनगर टिहरी गढवाल प्रथम पक्ष एवं कुलसचिव हेमन्ती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्व विद्यालय श्रीनगर द्वितीय पक्ष के मध्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत क्षेत्र विश्व विद्यालय परिसर चौरास, तहसील कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढवाल कूडे के निस्तारण के सम्बन्ध में 100.00 रू0 के भारतीय गैर न्यायिक पत्र पर प्रथम पक्ष के समक्ष यह अनुबन्ध पत्र निम्नवत शर्तो के अनुरूप निस्पादित किया जा रहा है।

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner

1. यह कि द्वितीय पक्ष को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली में उल्लेखित शर्तों एवं प्राविधानों के अनुसार अपना कूड़ा शत–प्रतिशत सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन करते हुए जैविक एवं अजैविक रूप से पृथक–पृथक कर दिया जाना अनिवार्य होगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा जैविक कूड़े के निस्तारण के सम्बन्ध में अपने परिसर में जैविक खाद तैयार किये जाने के कम्पोस्टिंग पिट तैयार की जानी अनिवार्य होगी तथा सूखे कूड़े को पृथक–पृथक कैटागिरी में रखकर स्वंय के कार्मिकों के माध्यम से कूड़ा वाहन में डाला जाना अनिवार्य होगा।
3. यह कि प्रथम पक्ष निकाय क्षेत्र कीर्तिनगर में दैनिक स्वच्छता/सफाई के बाद अतिरिक्त समय 10:00 बजे के बाद माह के प्रत्येक सप्ताह के दो दिवसों में अजैविक कूड़े के निस्तारण हेतू द्वितीय पक्ष को कूड़ा वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष कूड़े निस्तारण के लिए प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित की गई यूजर चार्जेज की धनराशि रू0 20,000/–प्रतिमाह के 10 तारीख तक प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा करते हुए यूजर चार्जेज शुल्क की रसीद प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी यदि भविष्य में शासन/प्रशासन द्वारा निरीक्षण के दौरान द्वितीय पक्ष के पास यूजर चार्जेज की रसीद उपलब्ध नही पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का स्वंय का होगा।
5. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा कूड़े के एकत्रितीकरण हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा बताये गये चौरास परिसर के अन्तर्गत निर्धारित किये गये स्थल तक वाहन उपलब्ध रहेगा जहां पर द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन में अपने कार्मिकों के माध्यम से कूड़ा उपलब्ध करवाया जायेगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है, इसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा अजैविक कूड़े के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को मिक्स नही किया जायेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त कार्य को ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के अन्तर्गत ब्लक जनरेटर के रूप में किया जायेगा तथा कार्य को सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन के पश्चात अजैविक कूड़े को कूड़ा वाहनों पर निस्तारित किया जायेगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा जैविक/अजैविक कूड़े के अतिरिक्त हैजार्ड वेस्ट एवं बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु अपने परिसर में विधिवत व्यवस्था की जानी अनिवार्य होगी तथा इस प्रकार के कूड़े के अन्य कूड़े साथ मिक्स नही किया जाएगा।
9. यह कि भविष्य में यदि किसी कारणवश प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष का कूड़ा एकत्रितीकरण में असमर्थता व्यक्त करना है तो इसकी सूचना 15 दिवस पूर्व प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दी जायेगी जिस पर द्वितीय पक्ष का कोई एतराज मान्य नही होगा।
10. यह कि इस अनुबन्ध में सम्बन्ध में शासन/प्रशासन से भविष्य में जो भी निर्देश प्राप्त होते है दोनो पक्षों द्वारा उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। इस पर द्वितीय पक्ष का कोई ऐतराज मान्य नही होगा।

Scanned with OKEN Scanner

11. यह कि उक्त अनुबन्ध की अवधि अधिकतम एक वर्ष तक के लिए होगी तथा आगे दोनो पक्षों की आपसी सहमति पश्चात समय वृद्वि की जा सकती है किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा यूजर चार्जेज की दरों में शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार वृद्वि की जा सकती है जिस पर द्वितीय पक्ष को सहमत होना अनिवार्य होगा।
12. यह कि यदि शासन द्वारा भविष्य में स्टाम्प शुल्क की दरों में वृद्वि की जाती है तो उसे द्वितीय पक्ष द्वारा स्वंय जमा करना अनिवार्य होगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष एवं प्रथम पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति में विवाद क्षेत्र तहसील कीर्तिनगर एवं जिला मुख्यालय नई टिहरी होगा।
14. यह कि उपरोक्त शर्तो का विचलन/उल्लघन करने पर नियमानुसार द्वितीय पक्ष के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी तथा इससे होने वाली क्षति की वसूली भी द्वितीय पक्ष से की जायेगी।
15. यह कि मुझे द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध की एक प्रति प्राप्त हो चुकी है।

पैरा सं0–01 से 15 तक की सभी शर्तों को द्वितीय पक्ष द्वारा भलिभान्ति अध्ययन कर लिया है जिसमें द्वितीय पक्ष को सभी शर्तें मान्य एवं स्वीकार है तथा इसमें द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से सहमत है।

द्वितीय पक्ष   प्रथम पक्ष

गवाह 1–

2–

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कीर्तिनगर
टिहरी गढवाल

अध्यक्ष
नगर पंचायत कीर्तिनगर
टिहरी गढवाल

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पंचायत कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल

दिनांक 24-04.2023

त्रांक 54 / कूड़ा निस्तारण / 2023-24

सेवा में,

श्रीमान कुलसचिव,
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल।

विषय:- हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय के विस्तार परिसर चौरास में दैनिक उपयोग के कूड़ा निस्तारन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या हे0न0ब0ग0वि0वि0 / अनि0सेवा / 2023 / 1082 दिनांक 16.03.2023 के क्रम में अवगत कराना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा विश्व विद्यालय चौरास आवासीय परिसर छात्रावास भवनों से वेस्ट मैनेजमेन्ट जैविक / अजैविक कूड़ा निस्तारण हेतु नगर पंचायत कीर्तिनगर से एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) हेतु रू0 100/-का स्टाम्प पेपर रसीदी टिकट सहित इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत कीर्तिनगर,
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि-1-मा0अध्यक्ष महोदया जी न0पं0कीर्तिनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत कीर्तिनगर,
टिहरी गढ़वाल।

Scanned with OKEN Scanner

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

पत्रांक : हे॰न॰ब॰ग॰वि॰वि॰/अभि0 सेवा/2023/1082 दिनांक : 16.03.2023

सेवा में,

अध्यक्ष नगर पंचायत,
कीर्तिनगर, टिहरी (गढ़वाल)।

विषयः– हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय के विस्तार परिसर चौरास में दैनिक उपयोग के Waste Management (निस्तारण) के सम्बन्ध में।

महोदया,

आप अवगत हैं कि हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय का विस्तार परिसर चौरास ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। इस परिसर में विभिन्न शैक्षिक/शैक्षणिक क्रियाकलापों सहित आवासीय एवं छात्रावासीय भवनों का संचालन हो रहा है। पर्यावरणीय शुद्धता के दृष्टिगत इस परिसर के Waste Management के परिप्रेक्ष्य विश्वविद्यालय आपसे सहयोग की अपेक्षा के साथ एक एम0ओ0यू0 निष्पादित करने का इच्छुक है जिसके माध्यम से परिसर में दैनिक उपयोग के Waste Management (निस्तारण) सम्बन्धी आवश्यक कार्य शीघ्रता से सम्पन्न कराये जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस परिप्रेक्ष्य दैनिक कार्य निष्पादन अनुसूची, विश्वविद्यालय तथा नगर पंचायत कीर्तिनगर के स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले दायित्व, सापेक्ष भुगतान विवरण इत्यादि बिन्दुओं के निर्धारण हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय (कुलसचिव कार्यालय, प्रशासनिक भवन श्रीनगर) में बैठक का समय नियत करते हुये अवगत कराने का कष्ट करेंगे ताकि इस विषय पर कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। आपकी सुगमता के दृष्टिगत इस विषय पर सूचना 8958458550 एवं 9412079520 दूरभाष नम्बरों पर उपलब्ध करायी जा सकती है–

भवदीय,
16.03.2023
प्रो0 (एन0एस0 पंवार)
कुलसचिव

कार्यालय नगर पंचायत कीर्तिनगर
प्राप्ति 16-03-23
टिहरी गढ़वाल